

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :- 08/2018-19

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

एतवा हस्सा

- विक्रेता

श्रीमती गोमा देवी

- क्रेता

| आदेश की क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|--|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-------|----|----|-----|------|--|
| | <p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>आवेदक एतवा हस्सा पिता स्व० मागो हस्सा ग्राम तिरला टोला कुदाडीह, थाना खूँटी, जिला खूँटी ने श्रीमती गोमा देवी पति बलराम मुण्डा ग्राम करेतुम्बीद, थाना खूँटी, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।</p> <table border="1" data-bbox="365 661 1429 766"> <thead> <tr> <th>ग्राम</th> <th>थाना नं०</th> <th>खाता नं०</th> <th>खेसरा सं०</th> <th>रकबा (एकड़ में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>तिरला</td> <td>78</td> <td>42</td> <td>895</td> <td>0.15</td> </tr> </tbody> </table> <p>उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र/खतियान एवं लगान की रसीद सं० 0028998630 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 517 दिनांक 08.06.18 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। खतियानी रैयत का नाम लुंदरू मुण्डा वगैरह हैं। पंजी II के अनुसार लुंदरू मुण्डा है। आवेदक के पास रकबा 10.88 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2018-19 तक किया गया है। भूमि का न्यूनतम प्रस्तावित दर 21000.00(एक्कीस हजार)रु० प्रति डिसमिल है। इस भूमि के विक्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास कुल भूमि अवशेष 10.73 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना खूँटी के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, खूँटी ने आवेदक क्रेता-विक्रेता को भूमिक्रय-विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, खूँटी से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण एतवा हस्सा पिता स्व० मागो हस्सा को श्रीमती गोमा देवी पति बलराम मुण्डा के साथ ग्राम तिरला के खाता सं० 42 खेसरा संख्या 895 का कुल रकबा 0.15 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर दर 21000.00(एक्कीस हजार)रुपये प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, खूँटी के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित 102.7.18 भूमि सुधार उप समाहर्ता, खूँटी।</p> <p style="text-align: right;">102.7.18 भूमि सुधार उप समाहर्ता, खूँटी।</p> | ग्राम | थाना नं० | खाता नं० | खेसरा सं० | रकबा (एकड़ में) | तिरला | 78 | 42 | 895 | 0.15 | |
| ग्राम | थाना नं० | खाता नं० | खेसरा सं० | रकबा (एकड़ में) | | | | | | | | |
| तिरला | 78 | 42 | 895 | 0.15 | | | | | | | | |